14/1/21

अभि० उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली बरामद होकर आज पेश हुई। रिपोर्ट प्राप्त है। शामिल रहे। बहस समात की गई। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुरूप रही।

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आ. ख.नं. 175 रकबा 2.48 है० वाके ग्राम चारेड़ा तहसील टोडारायसिंह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नं. 6 ता 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी में आनें जानें का रास्ता चारेड़ा से चन्द्राहेड़ा जानेवाली आम सड़क के पूर्वी ओर स्थित ख.नं. 174 में से होकर है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण कदीम से आते जाते है। जिसकी चौड़ाई 7 फिट है। प्रार्थीगण को उक्त आराजी में आनें जानें का एकमात्र रास्ता यहीं से है, जहां वे करीब 70 वर्ष से आ जा रहे है। अतः प्रार्थीगण की आ.ख.नं. 175 वाके ग्राम चारेड़ा में आने जानें हेतु ख.नं. 174 में

Raley

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से होकर रास्ता कायम किया जावे।	

प्रार्थना पत्र पेश होने पर ~~सभी~~ अप्रार्थीगण को नोटिस की गई। जिस पर अप्रार्थी नं. 6 ल.8 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया। तथा अप्रार्थी नं. 1 ल०5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाता नम्बर 175 ~~वाके~~ ग्राम प्यारेड़ा में आने जाने का रास्ता प्यारेड़ा से पन्द्राहेड़ा जाने वाली आम सड़क के पूर्वी ओर स्थित ख.नं. 174 में से न होकर ख.नं. 124 गै.मु. रास्ता प्यारेड़ा पन्द्राहेड़ा सड़क से होते हुए ख.नं. 140 गै.मु. रास्ता से होता हुआ ख.नं. 173/1488 के पूर्वी ओर से आता जाता है ~~वर्षों से~~ इसी रास्ते से आते जाते है प्रार्थीगण ~~द्वारा~~ अप्रार्थीगण आ. ख.नं. 174 में लगे तारपोल को तोड़कर रास्ता बनाया जिसके बाबत रिपोर्ट पुलिस थाना टोडारायसिंह में की। FIR 363/2020 दर्ज करवाई। अप्रार्थी नं. 1 ल० 3 द्वारा न्यायालय हाजा में एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सं. 18/2020 उनवानी प्रहलाद बनाम रामअवतार मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था जिसमें दिनांक 16/10/2020 को ~~...~~ प्रार्थीगण के विरुद्ध डिक्री ~~...~~ पारित होकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। प्रार्थीगण ख.नं. 174 में से नहीं आते बल्कि ख.नं. 173/1488 की पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे आते जाते है। सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार टोडारायसिंह से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के तथ्यों के मध्यनजर मौके की रिपोर्ट रास्ते के बाबत औचित्य रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल कराई गई।

हमने पत्रावली को आद्योपान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी ख.नं. 175/2.48 वाके ग्राम प्यारेड़ा तहसील टोडारायसिंह में आने जाने हेतु प्यारेड़ा से पन्द्राहेड़ा जाने वाली आम सड़क के पूर्वी ओर स्थित ख.नं. 174 में से होकर रास्ता कायम करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण नं. 1 ल०5 का कथन है कि ख.नं. 175 में आने जाने का रास्ता प्यारेड़ा पन्द्राहेड़ा जाने वाली आम सड़क के पूर्वी ओर स्थित ख.नं. 174 में ~~से~~ न होकर ख.नं. 124 गै.मु. रास्ता प्यारेड़ा-पन्द्राहेड़ा सड़क से होते हुए ख.नं. 140 गै.मु. रास्ता से होता हुआ ख.नं. 173/1488 के पूर्वी ओर से आता है। प्रा०पत्र एवं जवाब के तथ्यों के मध्यनजर रास्ते की औचित्य रिपोर्ट मौका की तहसीलदार से मंगवाई गई जिसमें रिपोर्ट में स्पष्ट Ruly

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

उल्लेख किया है कि ग्राम वासियों ने बताया कि उक्त
ख. नं. 175 के कृषक ख. नं. 124 गै. मु. रास्ता से होकर ख.
नं. 174 के दक्षिणी मेड़ में से होकर आ रहे थे किन्तु
ख. नं. 174 के खातेदारों ने झाड़ी, बाड़ लगाकर मौके
पर बन्द कर रखा है। ख. नं. 175 में आने जाने के लिए
ख. नं. 124 व 140 से होते हुए ख. नं. 173/1488 में से जाना
अप्रार्थीगण बताते है किन्तु उक्त ख. नं. 175 वाला
कृषक कभी भी इस रास्ते से जाना नहीं बताया है।
मौके पर किसी प्रकार कोई रास्ते के निशान नहीं है
एवं फसल काश्त है। अतः ख. नं. 175 के कृषक को ख.
नं. 174 में से 40 मीटर X 5 मीटर = 200 व.मी. रास्ता दिया
जाना उचित होगा। उक्त ख. नं. 174 में से रास्ता दिया
जाना औचित्यपूर्ण है।

इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ता
कायम किया जाना एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।
अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर
मौके ग्राम धारेड़ा तहसील टोडारायसिंह की आराजी
खसरा नम्बर $\frac{175}{2.48}$ में आने जाने हेतु ख. नं. 124 गै.
मु० रास्ता से होकर ख. नं. 174 में से 40 मीटर X 5 मीटर
= 200 वर्ग मीटर रास्ता कायम किया जाना उचित होने
के कारण ग्राम धारेड़ा की आराजी ख. नं. 174 में से
5 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लम्बा कुल 0.02 हैे० रकबा
दक्षिणी मेर के सहारे गै. मु. रास्ता सरकारी सिवायचक
कायम किया जाता है। उक्त 0.02 है० भूमि ख. नं.
174 की खातेदारी में से कम की जाकर सरकारी
सिवायचक गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड हो। प्रस्तावित
नक्शे की अनुमोदित प्रति के अनुसार नक्शा शीट में
तरमीम हो। उक्त गै. मु. रास्ता रकबा 0.02 है० की
कीमत DLC दर Rs. 10,38,158/- का दुगुना
Rs. 20,76,316/- की दर से नियमानुसार Rs. 41,530/-
अक्षरे इकतालीस हजार पांच सौ तीस रुपये मात्र
कायम किया जाकर अप्रार्थी नं. 1 लगा 3 को भुगतान
किये जाने हेतु प्रार्थीगण को उक्त राशि के डिमाण्ड
ड्राफ्ट बनाकर न्यायालय में पेश किये जाने के
आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार को
तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि० 14/1/21 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)